



2026:AHC:129671

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 3373 वर्ष 2026

खिन्नी एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : कमलेश कुमार द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी

विपक्षी पक्षगण की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. तीन आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह को सुना गया।
2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस जारी किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.06.2026 की आख्या से यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस विपक्षी पक्ष संख्या-2 को व्यक्तिगत रूप से तामील करा दिया गया है।
3. आदेश के उच्चारण तक विपक्षी पक्ष संख्या-2 की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से कोई वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने निवेदन किया कि उन्हें आवश्यक निर्देश प्राप्त हैं तथा वे मामले पर प्रभावी रूप से बहस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोई प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते। पक्षकारों की सहमति से, इस आवेदन का निर्णय प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
5. तीन आवेदकों का मामला यह है कि विपक्षी पक्ष संख्या-2 द्वारा चार अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 18.12.2018 की सायंकाल, जब प्रथम सूचना दाता की पुत्री कोचिंग से वापस

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



लौट रही थी, तब भगवान टॉकीज चौराहे के निकट चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिणामस्वरूप, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा में दिनांक 18.12.2018 को रात्रि 10:52 बजे, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1366 वर्ष 2018, धारा 376डी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत की गई। इसके उपरांत विवेचना प्रारम्भ हुई तथा बाद में सत्र परीक्षण संख्या 293 वर्ष 2019 में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.06.2024 को आवेदकों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत गवाह को पुनः तलब (Recall) किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि आवेदकों द्वारा कार्यवाही में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करने की रणनीति अपनाई गई है।

6. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-11, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 293 वर्ष 2019, जो मुकदमा अपराध संख्या 1366 वर्ष 2018, धारा 376D, 394, 365, 506, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा से उद्भूत है, में दिनांक 14.06.2024 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है।

7. इस न्यायालय ने दिनांक 06.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था—

- "1. आज प्रस्तुत अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस जारी किया जाए, जो शीघ्र तिथि पर प्रत्यावर्तनीय हो।
3. नोटिस की तामील संबंधी आख्या सहित इस प्रकरण को दिनांक 18.05.2026 को नवीन वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
4. इस बीच, विपक्षी पक्ष संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता, यदि कोई हों, तो दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल कर सकते हैं।
5. उसके उपरांत, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्युत्तर शपथ-पत्र के विरुद्ध एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया जा सकता है।"

8. कार्यालय की दिनांक 12.06.2026 की आख्या अभिलेख पर उपलब्ध है, जो निम्नवत् है—



"माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा की आख्या के अनुसार विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील करा दिया गया है। उक्त आख्या अभिलेख पर सुरक्षित रखी जाती है।"

9. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ कारण एवं परिस्थितियाँ थीं जो आवेदकों के नियंत्रण एवं समझ से परे थीं, जिनके कारण वे गवाहों को पुनः तलब (Recall) कराने के लिए विवश हुए। विशेष रूप से, उनका कहना है कि जो अधिवक्ता पूर्व में आवेदकों की ओर से पैरवी कर रहे थे, वे अत्यन्त लापरवाह थे तथा नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं होते थे। फलतः आवेदक इस विश्वास में रहे कि उनके हितों का समुचित संरक्षण किया जा रहा है, जबकि अभियोजन साक्षी (PW-1) एवं (PW-2) के प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद उसका लाभ नहीं उठाया गया। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यद्यपि शीघ्र विचारण न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तथापि निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का सिद्धांत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी बात सुने बिना दोषसिद्धि अथवा प्रतिकूल परिणाम का सामना नहीं करना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि अधिवक्ता के परिवर्तन के उपरांत अब आवेदक केवल एक अवसर चाहते हैं ताकि वे उक्त गवाहों का प्रतिपरीक्षण कर सकें, और वे इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेंगे। यह भी निवेदन किया गया कि विशेषकर धारा 376D भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लगाए गए गंभीर आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, जहाँ प्रतिपरीक्षण अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, अधीनस्थ न्यायालय को अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।

10. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों ने ऐसी छूट ले रखी थी, जो सर्वथा अनुचित एवं अवांछित थी। उनका कहना है कि एक बार जब आवेदक किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त थे, तब केवल अपने अधिवक्ता पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्हें स्वयं भी न्यायालय में उपस्थित रहकर तथा



आवश्यक सतर्कता बरतते हुए प्रतिपरीक्षण कराए जाने हेतु सभी संभव प्रयास करने चाहिए थे।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

12. निर्विवाद रूप से, आवेदकों के विरुद्ध धारा 376D भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा विचारण (Trial) प्रारम्भ हुआ। दिनांक 18.05.2023 को अभियोजन साक्षी (PW-1) एवं (PW-2) के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.04.2024 को गवाहों को पुनः तलब (Recall) कर उनका प्रतिपरीक्षण किए जाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2024 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदकों द्वारा कार्यवाही को अनावश्यक रूप से विलंबित करने का प्रयास किया गया है। इस न्यायालय की राय में, यद्यपि शीघ्र विचारण एवं निष्पक्ष विचारण न्यायिक प्रक्रिया रूपी रथ के दो पहिए हैं, तथापि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक वाद का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में आवेदक एक जघन्य अपराध के विचारण का सामना कर रहे हैं तथा उन्होंने केवल अभियोजन साक्षी (PW-1) एवं (PW-2) का प्रतिपरीक्षण करने हेतु एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में उनकी ओर से पैरवी करने वाला अधिवक्ता लापरवाह था। जैसा भी हो, न्यायालय का प्रयास यह है कि विधि द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचारण पूर्ण कराया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संपूर्ण कार्यवाही निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप संपन्न हो।

13. प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किलों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर किए गए इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेंगे, न्यायालय उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करना उचित समझता है। तदनुसार, यह आवेदन निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है—



(a) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-11, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 293 वर्ष 2019, जो मुकदमा अपराध संख्या 1366 वर्ष 2018, धारा 376D, 394, 365, 506, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा से उद्भूत है, में दिनांक 14.06.2024 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है।

(b) आवेदकगण इस न्यायालय द्वारा आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तथा प्रस्तुत आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 10.07.2026 तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(c) इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय जुलाई, 2026 के भीतर एक निश्चित तिथि निर्धारित करेगा, जिस दिन अभियोजन साक्षी (पीडब्ल्यू-1) एवं (पीडब्ल्यू-2) का प्रतिपरीक्षण किया जाएगा।

(d) आवेदकगण विचारण की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे तथा अभियोजन साक्षी (पीडब्ल्यू-1) एवं (पीडब्ल्यू-2) का प्रतिपरीक्षण संपन्न कराएँगे।

(e) आवेदकगण अथवा उनके अधिवक्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उनके अधिवक्ता को उपस्थित होने में कठिनाई हो, तो वे वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे निर्धारित तिथि पर प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही बिना किसी विलंब के संपन्न हो सके।

14. आज पारित यह आदेश किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय की कोई अभिव्यक्ति या टिप्पणी नहीं माना जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय विधि के अनुसार एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचारण की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम निर्णय पारित करेगा।

15. आज पारित आदेश का लाभ आवेदकगण को केवल तभी प्राप्त होगा, जब वे इस आदेश में निर्धारित समय-सीमा का पूर्णतः पालन करेंगे तथा इसकी किसी भी शर्त एवं नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आवेदक अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा किसी भी तिथि पर



स्थगन का अनुरोध किया जाता है, तो इस आदेश के अंतर्गत प्रदान किया गया संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए इस पीठ से किसी पृथक आदेश या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, और अधीनस्थ न्यायालय विधि के अनुसार कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. उपर्युक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ, प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक : 30 जून, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for legal use